आ॰ प्रभ॰ मानव
बनाम
निशांत साहू

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, खूँटी।

वाद संख्या M- 99 /2018–19

धारा –107 द0प्र0सं0

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख संहित
11.07.18	थाना प्रभारी रनियाँ के अप्राथमिकी संख्या 03/18 दिनांक 02.07.2018 द्वारा धारा 107 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत कार्रवाई करने हेतु दायर किया गया। द्वितीय पक्ष 1. निशांत साहू पिता कैलाश साहू, 2. अंकित साहू पिता स्व0 रामलखन साहू, सा0 मरचा 3. सोमा सिंह पिता स्व0 लुदू सिंह सा0 तुम्बुकेल 4. बसंत हेमरोम पिता जोहन हेमरोम, सा0 रनियां बजार टांड़ थाना रनियां, जिला खूँटी के द्वारा आगामी किसी बन्दी एवं विशेष अवसर पर हिंसक कार्रवाई कर विधि व्यस्था भंग कर सकते हैं। जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जायगी। अतः मैं **प्रणव कुमार पॉल** अनुमण्डल दण्डाधिकारी, खूँटी उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द0प्र0सं0 की धारा 107 के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारंभ करता हूँ। द्वितीय पक्ष के विरूद्ध नोटिस निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उनसे प्रत्येक को एक हजार रूपये का बंध–पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश दिया जाय। दिनांक 18.07.18 को उपस्थापित करें। [signature] 11/7/18 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, खूँटी।	67 11/7/18
18/7/18	नोटिस तामिला अप्राप्त। दिनांक 28/7/18 को पेश करें।	
28/7/18	नोटिस तामिला अप्राप्त। दिनांक 30/7/18 को पेश करें।	

द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। दिनांक 06/08/19 को रखें।

द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। आगामी तिथि 26/8/19 को रखें।

समय सीमा समाप्त वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

06.08.19